



सत्यमेव जयते

भारतीयराजदूतावास

दोहा- कतर

प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) मेंसुधार

1. **प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY)** एक अनिवार्य बीमा योजना है, जिसे ऐसे उत्प्रवासी (Emigrants) भारतीय मजदूरों के कल्याण को ध्यानमें रखकर बनाई गई है, जिन्हें भारत से बाहर काम करने जाने से पहले उत्प्रवासी संरक्षक से मंजूरी (Emigration Clearance) की आवश्यकता होती है। इस बीमायोजना (PBBY) को सभी सम्बंधितपक्षों से परामर्शकरके और अधिकमजबूत बनाया गया है। इस संदर्भ में एक राजपत्र भी जारी किया गया है। नए और पुराने प्रावधानों का एक तुलनात्मक विवरण संलग्न तालिका (table) में दिया गया है। योजना के नए प्रावधान 1 अगस्त 2017से प्रभावी हैं।

2. मृत्यु या स्थाईरूप से विकलांग होजाने की स्थिति में इस योजना के तहत **10 लाख** रुपए की बीमा राशिकाप्रावधान है। इसके अलावा इस योजना के कुछ और फायदे भी हैं। यह योजना, सिर्फ 275 रुपये के बीमा प्रीमियम पर दो वर्ष के लिए एवं 375 रुपए के प्रीमियम पर तीन वर्ष के लिए उपलब्ध है। इस बीमा को अब सभी देशोंमें उपलब्ध कराया गया है और अब इस कानवीनीकरण (renewal) ऑनलाइन (online) भी किया जा सकता है। इस योजना के तहत बीमितराशिकाक्लेम (claim) भारतीय राजदूतावास/ कौंसलावासके जरिए भी किया जा सकता है। बीमा क्लेम (claim) के लिए आवेदन भरने और उसको जमा करनेसे संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।

3. इस योजना के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. विदेशमेंकामकरतेवक्त, मृत्यु होने पर या स्थाई रूपसे विकलांग होने पर काम ना करने की स्थिति में अधिक तम 10 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। यह राशि बीमित व्यक्ति द्वारा कंपनी या स्थान बदलने की स्थिति में भी मिलेगी।
2. विदेशमेंभारतीयदूतावासद्वाराजारी किया गया मृत्यु या स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र, बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
3. चिकित्सा बीमाकवर (Medical insurance cover)जिसकेअंतर्गतचोट / बीमारी / रोगआदिआतेहैं, उसकीराशिबढ़ा कर **एकलाख (1,00,000/-)रुपए**(अस्पतालमेंभर्तीहोनेपरएक बारमें 50,000 /- रुपएतक)कर दीगईहै।

4. शारीरिक रूप से अयोग्य होने पर समय से पहले नौकरी से निकाल दिए जानेकीस्थितिमेंभारत के सबसे नजदीक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक किफायती श्रेणी (Economy Class)काटिकट दियाजाएगा।
5. भारतमेंरह रहे परिवार के सदस्यों के अस्पताल में भर्तीहोनेपर, अबयहरकमबढ़ाकर 50,000/- रुपएतककर दीगईहै।
6. महिला उत्प्रवासी कामगारों (women emigrants) के लिए मातृत्व लाभ (maternity benefits)कीरकमअबबढ़ाकर 35,000/-रुपयेकरदीगईहै।
7. काम करने के दौरान मृत्यु हो जाने या स्थायी रूप से विकलांग हो जाने परपीड़ितव्यक्तिकीमददले लिए एक सहायक को भारत के सबसे नजदीकी हवाई अड्डे से किफायती श्रेणी का वापसीहवाई टिकट (return economy class air fare) दिया जाएगा।
8. उत्प्रवासी (Emigrants) मजदूरों के रोजगार के मुकदमे से संबंधित कानूनी खर्च की रकम बढ़ाकर 45,000/-रुपये कर दी गई है।
9. PBBY पॉलिसी (policy) केऑनलाइन नवीनी करण(online renewal) का भी प्रावधान किया गया है।

(सूचना: राजपत्रकीअधिसूचनादूतावासकेवेबसाइट (website) में, प्रेसरिलीजके अंतर्गतउपलब्धहै)